

कार्यालय जिला आबकारी अधिकारी, चित्रकूट

(अनुभाग-आबकारी)

संख्या- 957 /जि0आ0अधि0/व्यवस्थापन/2021-22/ई-टेण्डर/चित्रकूट/दिनांक: जून 17, 2021

ई-टेण्डर (आबकारी विज्ञप्ति)

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि देशी शराब दुकान साईपुर व बरद्वारा जो जिलाधिकारी, चित्रकूट के आदेश दिनांक 16.06.2021 द्वारा निरस्त की गई है का पुनर्व्यवस्थापन वर्ष 2021-22 की अवशेष अवधि हेतु किया जाना है। ई-निविदा को वेबसाइट etender.up.nic.in से ऑनलाइन डाउनलोड कर आवेदन किया जा सकता है।

वर्ष 2021-22 हेतु ई-टेण्डर के माध्यम से व्यवस्थित की जाने वाली दुकानों का विवरण

देशी शराब :- 1- साईपुर, 2- बरद्वारा

उक्त दिये गये निर्देशों के तत्कम में ई-टेण्डर/ऑफर हेतु निम्नलिखित प्रक्रिया निर्धारित की जाती है-

- देशी शराब दुकान हेतु प्राप्त आफर में सर्वाधिक वार्षिक एम0जी0क्यू0, के ई-टेण्डर/आफर को स्वीकार किया जायेगा। यदि दो या दो से अधिक समान अधिकतम ई-टेण्डर/आफर प्राप्त होते हैं, तब जनपद स्तर पर ही मैनुवली लाटरी के माध्यम से ऐसे समान ई-टेण्डर/आफर में से एक को चुन कर व्यवस्थापन कराया जायेगा।
- समस्त मदिरा दुकानों के व्यवस्थापन हेतु सम्पूर्ण भारतवर्ष के निवासियों से ऑनलाइन ई-टेण्डर आमंत्रित किये जाने हेतु निम्नानुसार कार्यक्रम निर्धारित किया जाता है:-

1	Bid submission start date	19-06-2021 at 11:00
2	Bid submission closing date	25-06-2021 at 17:00
3	Technical bid opening date	26-06-2021 at 11:00
4	Financial bid opening date	26-06-2021 at 16:00
5	The place of bid opening	Collectorate Meeting Hall, Chitrakoot


- ई-टेण्डर आमंत्रित करते समय प्रोसेसिंग फीस एवं धरोहर धनराशि के भुगतान हेतु "फी-डिटेल्" वाले पेज पर "फी-पेमेन्ट मोड" के अन्तर्गत "ऑनलाइन" (चेक बाक्स) सलेक्ट किया जायेगा। उसके उपरान्त प्रोसेसिंग फीस एवं धरोहर धनराशि ई-टेण्डर पोर्टल पर केवल ऑनलाइन के माध्यम से ली जायेगी। प्रोसेसिंग फीस एवं धरोहर धनराशि को ऑनलाइन जमा करने हेतु आवेदक के पास दो विकल्प उपलब्ध होंगे।
(1) इन्टरनेट बैंकिंग (2) चालान, जिनमें से किसी एक माध्यम से आवेदक उक्त धनराशि जमा कर सकेगा। चयनित आवेदक के अतिरिक्त अन्य आवेदकों की जमा धरोहर धनराशि उनके उसी खाते में स्वतः वापस हो जायेगी।
- प्रत्येक आवेदन पत्र के साथ देशी मदिरा दुकान हेतु ₹0 20,000/- प्रोसेसिंग शुल्क आवेदन प्रक्रिया के रूप में देय होगा।
- वेसिक/लाइसेंस फीस का भुगतान ई-पेमेन्ट के द्वारा विभागीय पोर्टल upexcisonline.in के माध्यम से किया जायेगा।

आवेदन/व्यवस्थापन से सम्बन्धित प्रक्रिया वेबसाइट www.etender.up.nic.in पर सम्पादित की जायेगी तथा समस्त मदिरा दुकानों हेतु उक्त वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन ऑफर/आवेदन किया जा सकेगा। प्रत्येक आवेदक/ऑफरदाता को Digital Signature Certificate (DSC) भारत सरकार द्वारा अधिसूचित किसी भी एजेन्सी से अनिवार्य रूप से तैयार करानी होगी तथा www.etender.up.nic.in पर पंजीकरण करना होगा, जिसके माध्यम से वह मदिरा की दुकान हेतु आवेदन कर सकेगा।

व्यवस्थापन की शेष शर्तें पूर्व के व्यवस्थापन के समान ही रहेगी। इच्छुक आवेदनकर्ता/ऑफरदाता प्री-विड मीटिंग हेतु दिनांक 20.06.2021 को 16:00 बजे आबकारी कार्यालय जिला आबकारी अधिकारी, चित्रकूट में उपस्थित हों। विस्तृत जानकारी कार्यालय जिला आबकारी अधिकारी, चित्रकूट एवं क्षेत्रीय आबकारी निरीक्षकों से प्राप्त की जा सकती है।


(संतोष कुमार)


जिला आबकारी अधिकारी
जनपद चित्रकूट।



(शुभान्त कुमार शुक्ल)
जिलाधिकारी,
जनपद चित्रकूट।


कार्यालय जिला आबकारी अधिकारी, चित्रकूट ।


वर्ष 2021-22 हेतु ई-टेण्डर/ऑफर हेतु दुकानों का विवरण पत्र

क्र० सं०	दुकान का नाम	दुकान की प्रास्थिति	दुकान हेतु निधारित वार्षिक बेसिक लाइसेंस फीस/लाइसेंस फी			धरोहर धनराशि (रु० में)	हैसियत मूल्य (रु० में)	प्रतिभूति धनराशि (रु० में)
			निधारित वार्षिक एम०जी०क्यू० ब०ली० में 36 प्रतिशत वी/वी टर्म में	वार्षिक बेसिक लाइसेंस फीस	वार्षिक लाइसेंस फीस			
1	साईपुर	ग्रामीण	15636	555078.00	3533736	55508	681469	353374
2	बरद्वारा	ग्रामीण	10572	375306.00	2389272	37531	460763	238928


(राजेश कुमार)
प्रभारी आबकारी निरीक्षक,
क्षेत्र-4, राजापुर चित्रकूट ।


(विनोद कुमार साव)
आबकारी निरीक्षक,
क्षेत्र-1, कर्वी, चित्रकूट ।


(संतोष कुमार)
जिला आबकारी अधिकारी,
चित्रकूट ।


(शुभ्रान्त कुमार शुक्ल)
जिलाधिकारी
चित्रकूट ।